पत्र सं०–05 / पी०–17 / 2022– 19(5) यो० / स्वा०,

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, रांची।

राँची, दिनांकः– 09-06-2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत चालू योजना के रूप में राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची हेतु कुल 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़) रूपए मात्र के सहायता अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची के विकास कार्य एवं संचालन हेतु संलग्न परिशिष्ट के अनुसार कुल 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़) रूपए मात्र के सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय शैक्षणिक संकाय, भवनों का निर्माण/पुनरूद्धार, मशीन उपकरण का क्रय एवं अन्य आवश्यक कार्यों पर शासी परिषद् की स्वीकृति के आलोक में किया जाएगा।

2. यह चालू योजना है। अतएव मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0–1269 दिनांक–21.09.2023 की कंडिका 9.4 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

3. इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

4. व्यय का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्यशीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–84–राँची मानसिक अस्पताल–01–राँची इन्स्टीच्यूट ऑफ न्यूरो और एलाइड साइन्सेज (रिनपास) को सहायता अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में समुचित इकाई में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

5. निदेशक, राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

7. राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची के नियमावली के अनुसार व्यय का अनुमोदन नियमानुसार शासी परिषद् से प्राप्त कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि का व्यय सहायता अनुदान संबंधी वित्तीय नियमों के अधीन करेंगे।

8. निर्माण से संबंधित योजना के लिए प्राक्कलन तैयार कर इसपर सक्षम पदाधिकारी से तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन ई० टेण्डरिंग द्वारा किया जाएगा।

9. आवंटित राशि से मशीन उपकरण का क्रय पूर्ण पारदर्शिता के साथ Jharkhnad Procurement of Goods and Services manual, 2024 तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेश के आलोक में किया जाएगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)	(ललित मोहन शुक्ला)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

10. ऐसे उपकरणों का क्रय Priority Basis पर किया जाएगा जिसकी अत्यधिक आवश्यकता हो एवं उसके सही संचालन के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप स्थान उपलब्ध हो एवं संचालन के लिए तकनीशियन उपलब्ध हो। क्रय किए गए सामानों के संचालन के लिए आवश्यक Electric Connectivity की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

11. क्रय किए जाने वाले उपकरण ख्याति प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्थान का होना होगा एवं आधुनिक तकनीकी के अनुरूप होगा। यह पूर्णतः Outdated Technology का न हो ताकि इसका संचालन, रख–रखाव एवं Spare parts मिलने में कठिनाई नहीं हो।

12. क्रय किए जानेवाला मशीन उपकरण को तुरंत अधिष्ठापित करने तथा उसको Proper Use करने का दायित्त्व निदेशक, रिनपास का होगा।

13. मशीन उपकरण स्थापित होने के पश्चात् निदेशक, रिनपास की जिम्मेवारी होगी कि वह मशीन उपकरण की सुविधा उपलब्ध होने की सार्वजनिक सूचना जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रो में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. क्रय किए जाने वाले मशीन उपकरण के संचालन हेतु Trained Operator तकनीशियन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्त्व निदेशक, रिनपास/संबंधित विभागाध्यक्ष का होगा। इसके लिए वे व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होंगे।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रय किए जाने वाला मशीन उपकरण, उपस्कर अच्छी गुणवत्ता का एवं टिकाऊ हो।

16. क्रय किए जाने वाले सामग्रियों का उचित प्रविष्टि संबंधित पंजी में किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

17. निंकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

18. निर्माण कार्य की सही गुणवत्ता के लिये कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार होंगे। अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्य का निरीक्षण किया जाएगा।

19. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–62(12) दिनांक–07.07.2022 के आलोक में संस्थान के विभिन्न योजनाओं पर व्यय हेतु आवंटित राशि के निकासी से संबंधित सभी विपत्रों पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

20. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका 5(II) के क्रम में गत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष (2024–25) में निकासी की गयी राशि की विवरणी निम्नवत् हैः–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
11(5)ब 21.06.2024	25.00 करोड़	25.00 करोड़

21. विभागीय संकल्प संख्या–566 दिनांक–09.05.2018 के द्वारा राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची को आवंटित राशि से मरीजों से संबंधित राशि यथा–भोजन/दवा/कपड़ा/इत्यादि का संधारण एवं संचालन बैंक खाता के माध्यम से तथा अन्य मदों की राशि यथा–वेतन/निर्माण/इत्यादि की राशि का व्यय पी०एल० खाता के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई है।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

19(5)यो
09-06-2026

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

22. आवंटित राशि से हुए व्यय की राशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

23. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 19(5) योजना राँची, दिनांकः 09-06-2026

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त, राँची।
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
5. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. सिविल सर्जन, राँची।
7. संबंधित प्रशाखा के पदाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
8. निदेशक, राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची।
9. कोषागार पदाधिकारी, राँची।
10. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत चालू योजना के रूप में राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी

राशि रूपये में।

क्र०	उपशीर्ष	स्वीकृत राशि
1.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाऐं– एलोपैथी–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–84–राँची मानसिक अस्पताल–01–राँची इन्स्टीच्यूट ऑफ न्यूरो और एलाइड साइन्सेज को सहायता अनुदान–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) 20 एस 2210–01–796–84–01–06–79	25,00,00,000
	कुल योगः–	**25,00,00,000**

कुल पचीस करोड़ रूपये मात्र।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

19(5)यो.
09-06-2026

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव